आबकारी नीति 2009–10

1. **अवधि** : आगामी आबकारी बन्दोबस्त की अवधि एक वर्ष (दिनांक 1.4.2009 से 31.3.2010 तक) होगी।
2. **बन्दोबस्त की प्रणाली** : देशी मदिरा के ठेके एकाकी विशेषाधिकार प्रणाली तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा व बीयर के ठेके निश्चित लाईसेंस फीस पर वर्तमान व्यवस्था के अनुरूप ही दिये जाने का निर्णय लिया गया है।
3. **देशी मदिरा** :

3.1 **दुकानों की संख्या** : वर्ष 2008–09 हेतु राज्य में देशी मदिरा दुकानों की संख्या 6660 निर्धारित की गई थी जो वर्ष 2009–10 हेतु यथावत रहेगी।

3.2 **समूहों का गठन** : मौटे तौर पर देशी मदिरा दुकानों के वर्तमान समूहों को यथावत रखा जायेगा । यदि कुछ मामलों में परिवर्तन आवश्यक महसूस होता है तो वित्त विभाग की अनुमति से ऐसा किया जा सकेगा।

3.3 **बन्दोबस्त प्रकिया** : निश्चित एकाकी विशेषाधिकार राशि (आरक्षित राशि) पर नये सिरे से आवेदन आमंत्रित कर बन्दोबस्त करवाया जायेगा । जिन समूहों हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्त होंगे उन हेतु पूर्व व्यवस्था अनुरूप जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष लॉटरी निकाली जाकर सफल आवेदक का चयन किया जायेगा।

3.4 **आरक्षित राशि** : वर्ष 2008–09 में संचालित हो रही दुकानों के गत बन्दोबस्त (वित्तीय वर्ष 2006–07 अथवा 2007–08 के दौरान करवाये गये बन्दोबस्त, जैसी भी स्थिति हो) में प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर वर्ष 2008–09 की प्राप्त राशि में निम्नानुसार वृद्धि कर वर्ष 2009–10 के लिए आरक्षित राशि निर्धारित की जायेगी:–

प्राप्त आवेदनों की संख्या	वृद्धि का प्रतिशत
25 तक	5.00
26–50	7.50
51 या अधिक	10.00

3.5 **आवेदन शुल्क** : देशी मदिरा समूहों हेतु आवेदन शुल्क निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :–

श्रेणी	वर्तमान शुल्क	वर्ष 2009–10 के लिये निर्धारित शुल्क
1. 10 लाख तक की आरक्षित राशि वाले समूह	1500/–	2500/–
2. 10 लाख से अधिक आरक्षित वाले समूह	3000/–	5000/–

3.6 **देशी मदिरा निर्माण में प्रयुक्त होने वाला प्रासव** : राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स के लिए आगामी वर्ष में देशी मदिरा निर्माण हेतु मोलासिस आधारित प्रासव की मात्रा 40 प्रतिशत एवं अनाज आधारित प्रासव की मात्रा 60 प्रतिशत निर्धारित की जाती है। राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा आयात किये जाने वाले मोलासिस आधारित प्रासव पर आयात शुल्क की दर रूपये 3.00 प्रति बल्क लीटर होगी।

3.7 **पेट / ग्लास बोतल** : देशी मदिरा प्रदायगी में पेट / ग्लास बोतल का अनुपात 50:50 रखा जायेगा।

3.8 **होलोग्राम** : राज्य में बेची जाने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर होलोग्राम लगाये जाने की व्यवस्था वर्ष 2005–06 में लागू की गई थी । वर्ष 2009–10 में इसे देशी मदिरा बोतलों पर भी लगाये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

3.9 **पीपी सील का निर्माण** : फर्जी पीपी सील का उपयोग कर अवैध रूप से देशी मदिरा के निर्माण व उसके विक्रय की रोकथाम हेतु राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा स्वयं अपनी पीपी सील तैयार करने हेतु संयंत्र लगाये जाने का निर्णय लिया गया है।

3.10 **देशी मदिरा का निर्गम मूल्य** : चालू वर्ष में देशी मदिरा की निर्माण सामग्री, विशेषकर प्रासव, के मूल्य में भारी वृद्धि हुई है। वर्तमान में 40 यूपी देशी मदिरा के पव्वों के एक कार्टन का विक्रय मूल्य रू. 295/– निर्धारित है जिसे बढाकर रू. 320/– किये जाने का निर्णय लिया गया है। अन्य किस्म की देशी मदिरा तथा बोतलों व अद्धों के कार्टन हेतु भी निर्गम मूल्य में इसी अनुरूप वृद्धि की जायेगी।

3.11 **देशी मदिरा का नया उत्पाद** : सुरक्षित एवं कम लागत की देशी मदिरा उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर

मिल्स द्वारा 50 यूपी तेजी सहित एक नया उत्पाद जारी किया जायेगा।

3.12 **डूंगरपुर – बांसवाडा जिलों में देशी मदिरा का विक्रय** : इन जिलों में देशी मदिरा विक्रय की व्यवस्था मौजूदा व्यवस्था लागू रहेगी।

3.13 **देशी मदिरा का निर्माण** : वर्ष 2009–10 में देशी मदिरा आपूर्ति में राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स का अधिकतम हिस्सा 50 प्रतिशत रहेगा । प्राईवेट डिस्टलरीज एवं बोटलिंग प्लाण्ट क्रमशः 40 प्रतिशत व 10 प्रतिशत मात्रा की आपूर्ति करेंगे। मदिरा आपूर्ति के लिए 75 लाख से अधिक निवेश तथा अच्छी तकनीकी वाले बोटलिंग प्लाण्ट ही पात्र होंगे।

4. **भारत निर्मित विदेशी मदिरा :**

4.1 **बन्दोबस्त प्रकिया** : वर्ष 2009–10 हेतु भारत निर्मित विदेशी मदिरा / बीयर रिटेल ऑफ दुकानों हेतु नये सिरे से आवेदन आमंत्रण कर बन्दोबस्त करवाया जायेगा। एकाधिक आवेदन प्राप्त होने पर देशी मदिरा के लिये प्रस्तावित व्यवस्था के अनुरूप लॉटरी प्रकिया द्वारा सफल आवेदक का चयन किया जायेगा।

4.2 **दुकानों की संख्या** : नगरीय क्षेत्रों के लिए भारत निर्मित विदेशी मदिरा / बीयर रिटेल ऑफ दुकानों की संख्या 1800 से घटाकर 1000 करने का निर्णय लिया गया है। आबकारी आयुक्त द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से तथा आगामी पैरा 4.3 में किये गये उल्लेख के अनुरूप प्रत्येक शहर के लिये निर्धारित दुकानों की संख्या को संशोधित किया जायेगा।

4.3 **लाईसेंस फीस** : भारत निर्मित विदेशी मदिरा / बीयर की रिटेल ऑफ दुकानों की विभिन्न श्रेणियों हेतु दुकानों की संख्या व वार्षिक लाईसेंस फीस निम्न अनुसार निर्धारित की गयी है :–

(राशि लाख रू. में)

क. सं.	श्रेणी	दुकानों की वर्तमान संख्या	वर्ष 2009–10 हेतु दुकानों की संख्या	वर्तमान लाईसेंस फीस	वर्ष 2009–10 हेतु लाईसेंस फीस
1.	जयपुर व जोधपुर शहर	453	250	3.80	7.50
2.	अन्य संभागीय मुख्यालय, माउण्ट आबू व जैसलमेर	293	160	3.15	6.00
3.	अन्य जिला मुख्यालय	397	240	2.50	4.00

4.	अन्य नगरपालिकाएं	657	350	1.85	3.25

4.4 **विदेशी मदिरा पर वेट आरोपण** : विदेशी मदिरा, भारत निर्मित विदेशी मदिरा व बीयर पर 20 प्रतिशत वेट लगाये जाने का निर्णय लिया गया है।

4.5 **रिटेल ऑन अनुज्ञापत्रों की लाईसेंस फीस** : विभिन्न श्रेणी की होटलों, रेस्टोरेण्ट्स व क्लबों के बार लाईसेंस हेतु लाईसेंस फीस में निम्नानुसार वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

(राशि लाख रू. में)

क.सं.	श्रेणी	वर्तमान लाईसेंस फीस	वर्ष 2009–10 हेतु निर्धारित लाईसेंस फीस
1.	पांच सितारा होटल	5.00	15.00
2.	चार सितारा होटल	4.00	10.00
3.	तीन सितारा होटल	4.00	8.00
4.	लग्जरी ट्रेन	4.00	8.00
5.	हेरिटेज ए श्रेणी	5.00	8.00
6.	हेरिटेज बी श्रेणी	1.20	2.00
7.	हेरिटेज सी श्रेणी	0.60	1.00
8.	जयपुर एवं जोधपुर शहर	3.00	6.00
9.	अन्य संभागीय मुख्यालय, माउण्ट आबू एवं जैसलमेर	2.50	5.00
10.	अन्य जिला मुख्यालय	2.00	4.00
11.	अन्य नगरपालिकाएं	1.50	2.50
12.	अन्य स्थान	0.75	1.50
13.	रेस्टोरेण्ट – जयपुर, जोधपुर	2.00	4.00
14.	रेस्टोरेण्ट – अन्य संभागीय मुख्यालय, माउण्ट आबू व जैसलमेर	1.67	3.25
15.	रेस्टोरेण्ट – अन्य जिला मुख्यालय	1.34	2.50
16.	रेस्टोरेण्ट – अन्य नगरपालिका व भिवाडी	1.00	2.00

17.	रेस्टोरेण्ट – अन्य स्थान	0.50	1.00
18.	क्लब – जयपुर	0.75	1.50
19.	क्लब – अन्य स्थान	0.50	1.00

4.6 **रेस्टोरेण्ट बार** : रेस्टोरेण्ट बार में स्ट्रांग बीयर बेचने की भी अनुमति होगी।

5. **भांग** : भांग दुकानों के 29 समूह यथावत रखे जाकर इनकी वर्ष 2008–09 की प्राप्त राशि को ही वर्ष 2009–10 की आरक्षित राशि निर्धारित की जाती है। जिस समूह का वर्ष 2008–09 के दौरान आरक्षित राशि की 10 प्रतिशत राशि पर भी बन्दोबस्त नहीं हो पाया था उसकी वर्ष 2009–10 हेतु आरक्षित राशि वर्ष 2008–09 की आरक्षित राशि की 7.50 प्रतिशत निर्धारित की जाती है। भांग दुकानों का बन्दोबस्त गत वर्ष के अनुरूप निविदाएं आमंत्रित कर करवाया जायेगा।

6. **डोडा पोस्त** : डोडा पोस्त के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा निम्न निर्णय लिये गये हैं :–

(1) अफीम काश्तकारों को डोडा–पोस्त का न्यूनतम विक्रय मूल्य रूपये 100 प्रति किलो देय होगा।

(2) डोडा–पोस्त का अधिकतम खुदरा मूल्य रूपये 500 प्रति किलो होगा।

(3) डोडा–पोस्त व्यसनियों का मासिक कोटा मूल रूप से निर्धारित कोटा अथवा 10 किलोग्राम, जो भी कम हो, रहेगा।

(4) उक्त निर्णयों की पालना हेतु समुचित आरक्षित राशि निर्धारित कर लॉटरी द्वारा बन्दोबस्त कराने की कार्यवाही की जायेगी।

7. **अन्य कतिपय फीस में संशोधन** :

7.1 विकृत प्रासव के निर्यात पर देय फीस रू. 5.00 प्रति लीटर से घटाकर रू. 2.00 प्रति लीटर निर्धारित की जाती है।

7.2 शोधित प्रासव / ईएनए के आयात पर देय फीस रू. 8.00 प्रति बल्क लीटर से घटाकर रू. 7.00 प्रति बल्क लीटर निर्धारित की जाती है।

7.3 अनुज्ञाधारी की मृत्यु पर अनुज्ञापत्र वारिसों के नाम स्थानान्तरित करने के लिए फीस, 10 लाख रूपये तक की लाईसेंस फीस / एकाकी विशेषाधिकार राशि हेतु रू. 5,000/– एवं इससे अधिक के लिए रू. 10,000/– निर्धारित की जाती है।

8. **अन्य बिन्दु :**

8.1 आबकारी मद से प्राप्त राजस्व की एक प्रतिशत राशि गरीबों के लिये मुफ्त ईलाज, दवाई तथा हथकढ शराब बनाने वाले लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्वास के लिए खर्च की जायेगी।

8.2 प्रत्येक पंचायत में सार्वजनिक सूचना पट्ट के द्वारा नशे के कुप्रभाव तथा निरापद उपयोग के संबंध में जनता को आगाह किया जायेगा।

8.3 शराब के नशे के आदी इच्छुक लोगों के लिए नशामुक्ति शिविरों का आयोजन गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से व्यापक स्तर पर किया जायेगा।

8.4 18 वर्ष से कम युवा वर्ग को नशीले पदार्थों की बिक्री न हो, इस दिशा में और अधिक प्रयास किये जाये।

8.5 दुकानों पर अनुज्ञाधारी का नाम, लाईसेंस नम्बर व अवधि के अलावा अन्य किसी प्रकार के प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी।

8.6 गैर–सरकारी संस्थान तथा राज्य के कर्मचारियों द्वारा नशा निवारण तथा अवैध शराब की रोकथाम हेतु किये गये सराहनीय कार्य को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जायेगा।

8.7 राज्य में शिथिलता के साथ मदिरा दुकानें संचालित नहीं होंगी।

8.8 मिथाईल एल्कोहल के पोटेबल एल्कोहल से अन्तर को आम आदमी के लिये आसान बनाने के लिये मिथाईल एल्कोहल में रंग व गंध मिलाये जाने का प्रावधान किया जायेगा।

8.9 मदिरा दुकानों पर अवैध मदिरा अथवा अन्य राज्यों की मदिरा पायी जाने पर अभियोग पंजीकरण के साथ–साथ अनुज्ञापत्र निरस्तीकरण की सशक्त कार्यवाही आबकारी विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

8.10 राज्य सरकार में वित्त विभाग के अन्तर्गत कर अनुसंधान प्रकोष्ठ की तर्ज पर आबकारी अनुसंधान प्रकोष्ठ स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

8.11 आबकारी विभाग की क्रियाशीलता को और प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक जिले में एक नया वाहन तथा आधुनिक संचार प्रणाली मुहैया कराने का भी निर्णय लिया गया है।

8.12 आबकारी विभाग, निरोधक बल तथा पुलिस द्वारा, अवैध शराब के विरूद्ध समन्वित अभियान जारी रहेगा।

8.13 दूसरे राज्यों से राजस्थान होकर गुजरने वाली मदिरा की आवक एवं जावक पर निगरानी बरतने के लिए प्रभावी तंत्र विकसित किया जायेगा।

9. **शुष्क दिवस एवं मद्य – संयम :**

9.1 वर्तमान में निर्धारित चार शुष्क दिवस – **गणतंत्र दिवस, स्वाधीनता दिवस, गांधी जयन्ती व महावीर जयन्ती** – के अलावा महात्मा गांधी की पुण्यतिथि **30 जनवरी** को भी शुष्क दिवस निर्धारित किया जाता है।

9.2 अनुज्ञा प्राप्त दुकानों के खुलने (प्रातः 10 बजे) व बन्द होने के समय (सायं 8 बजे) की कठोरता से पालना करवायी जायेगी।

9.3 मदिरा एवं अन्य मादक पदार्थों के उपयोग को प्रोत्साहित करने वाले विज्ञापनों आदि के विरूद्ध प्रचलित कानूनी प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।

9.4 मदिरा के हर पात्र पर लिखी जाने वाली चेतावनी '**मदिरा सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है**' का उल्लेख किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

10. आबकारी बन्दोबस्त के संबंध में शेष प्रावधान / प्रकिया / व्यवस्था पूर्व नीति के अनुरूप रहेगी।

* * * * * * * *